

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2022

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-प्रथम जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर। 3. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर 4. नरेन्द्र पारख पुत्र सोमचन्द 5. विरेन्द्र पारख पुत्र सोमचन्द जाति- पारख निवासीगण-91 अशोक नगर पाललिक रोड, जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश क्रमांक प.12 (3-)/राज./आवं./नगर निगम/ 2015/3226-33
दिनांक 10.07.2015 जो जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित किया
गया।


उपस्थिति:-

1. श्री इरफान गौरी, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री एन.डी.निम्बावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4. श्री अमित माहेश्वरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20 अगस्त, 2025

1. अपीलान्त की ओर से यह प्रथम अपील जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित
अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2015, जिसके द्वारा ग्राम जोधपुर में स्थित कृषि भूमि
खसरा नं. 849/751 रकबा 6.04 बीघा, 850/751 रकबा 5.06 बीघा, 852/751 रकबा
2.16 बीघा, 857/751 रकबा 7.00 बीघा, 860/751 रकबा 23.08 बीघा, 863/751
रकबा 1.04 बीघा, 864/751 रकबा 1.04 बीघा, 866/751 रकबा 3.00 बीघा,
869/751 रकबा 1.08 बीघा कुल 51 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण


संभागीय आयुक्त
जोधपुर



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

नगर निगम, जोधपुर को किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक
17.12.2021 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। दौराने सुनवाई अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को तथा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 849/751, 850/751, 852/751, 857/751, 860/751, 863/751, 864/751, 866/751, 869/751 कुल रकबा 51.10 बीघा की भूमि राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अवाप्त की जाकर अवाप्ति की पूर्ण कार्यवाही कर राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को निमयानुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में धारा 4 (1) के तहत गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.05.1983 को प्रकाशित किया गया। धारा 6 (4) (1) व धारा 17(4) अवाप्ति अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन दिनांक 21.4.1986 को प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात नियमानुसार कब्जा उपरोक्त भूमि तथा अन्य भूमियों के साथ दिनांक 11.11.1986 को लैण्ड एक्वीजिशन ऑफिसर के मार्फत राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को सुपुर्द किया जा चुका है। तब से आज दिन तक राजस्थान आवासन मण्डल उक्त भूमि पर मौके पर वास्तविक मालिक के रूप में काबिज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि धारा 6 (4) (1) के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर में समायोजित हो चुकी है। उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर द्वारा अपनी योजना बनाकर मकानों का निर्माण कर आगे आम नागरिकों को मकानों का आवंटन किया जा चुका है।

3. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि नगर निगम, जोधपुर के द्वारा दिनांक 4.5.2019 को चौपासनी आवासीय योजना के ख0सं0 857/751 व 860/751 पर जेसीबी द्वारा सफाई कर चारदीवारी निर्माण करने के प्रयास पर आपत्ति की गई एवं तब अपीलान्त के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया, तब दिनांक 6.5.2019 को नगर निगम से जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त खसरो एवं अन्य कई खसरो का नामा0 संख्या 1773 दिनांक 2.7.2016 स्वीकृत हो चुका है जो कि नगर निगम के पक्ष में भरा गया है। उक्त नामा0 संख्या 1773 की दिनांक 7.5.2019 को जब नकल प्राप्त की गई तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलान्त के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर दिनांक 9.5.2019



को नकले प्राप्त की गई तथा उच्चाधिकारियों को इस सम्बन्ध में जानकारी देकर अपील पेश करने की कार्यवाही की गई है। दिनांक 6.5.2019 को ही तहसीलदार, जोधपुर व हल्का पटवारी जोधपुर से सम्पर्क कर उक्त ख0सं0 851/751 व 860/751 बाबत जानकारी प्राप्त करने पर उक्त खसरो के साथ अन्य खसरो की भूमि नगर निगम के नाम से नामा0 संख्या 1773 दिनांक 2.7.2016 की प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त खसरो के अलावा भी राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के अन्य अपीलाधीन 09 खसरे भी नगर निगम जोधपुर के नाम नामा0 स्वीकृत हो चुका है जिसे जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

4. रेस्पोंडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलान्ट की ओर से पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में विरोध प्रकट किया गया तथा अपील को मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट की ओर से पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर का अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के पक्ष में अवाप्तशुदा एवं कब्जा दिनांक 11.11.1986 को सुपुर्द करने के पश्चात उक्त अवाप्ति कार्यवाही को निरस्त करवाये बिना जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा नगर निगम जोधपुर को भूमि हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि अवाप्ति केवल राज0 उच्च न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। इस प्रकार राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर की भूमि को नगर निगम को हस्तान्तरण करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि में से राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर द्वारा अपनी आवासीय योजना विकसित कर आम नागरिकों को मकान आवंटित किये जा चुके हैं तथा मौके पर बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज व पार्क इत्यादि विकसित कर नागरिकों को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है तथा कुछ पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार राजस्थान आवासन मण्डल,



जोधपुर को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश में से उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण करने के आदेश पारित कर दिये गये जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, जोधपुर ने नगर निगम जोधपुर को उपरोक्त भूमि को हस्तान्तरण किये जाने बाबत जो सूची जिला कलेक्टर, जोधपुर को प्रस्तुत की है, उसमें तहसीलदार जोधपुर के द्वारा किसी प्रकार की जाँच नहीं करवाई गई है एवं मोक़े पर कब्जे की स्थिति व अवाप्ति आदेश एव बार-बार तहसीलदार, जोधपुर को उक्त खसरो के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के नाम नामा0 स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये थे, को नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलार्थी से उपरोक्त भूमि कभी भी अवाप्ति नहीं की गई एवं बिना अवाप्ति के हाई हैण्डेड एक्शन के तहत उक्त भूमि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा नगर निगम जोधपुर को आवंटन की गई।
8. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि नहीं है। उक्त भूमि राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर की अवाप्तिशुदा भूमि है तथा विशेषाधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के मार्फत कब्जा दिनांक 11.11.1986 से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में जानकारी लिये बिना ही व जल्दबाजी में जिला कलेक्टर के द्वारा की गई तमाम कार्यवाही बहुत जल्दबाजी का नतीजा है। राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश से राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के हक में अवाप्तशुदा व कब्जाशुदा भूमि को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
9. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, जोधपुर में ख0सं0 860 / 751 रकबा 15.03 बीघा के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद संख्या 127 / 2002 सोमचन्द्र बनाम राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर के मध्य धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार जोधपुर भी पक्षकार है। वादीगण सोमचन्द्र का स्वर्गवास होने पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नरेन्द्र पारख व विरेन्द्र पारख को पक्षकार बनाया गया है। अन्य खसरे के सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का कोई सम्बन्ध नहीं है। राजस्व आवासन मण्डल जोधपुर को प्राप्त भूमि में खातेदारी भूमि रकबा 160 बीघा, नगर विकास न्यास से प्राप्त



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

3.16 बीघा, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त रकबा 09.15 बीघा, सिवायक भूमि 371.09 बीघा कुल रकबा 547.02 बीघा है।

10. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कार्यालय विशेषाधिकारी, नगर विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अपना आदेश क्रमांक ओएसडी/नविआ/87/691 दिनांक 8.1.1988 को तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित कर उपरोक्त भूमि का नामा0 खोलने का आदेश दिया था तथा समय-समय पर राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर को विभिन्न पत्रों के द्वारा नामा0 स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है लेकिन नामा0 स्वीकृत नहीं किया गया। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अन्य राजकीय भूमि के साथ राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर की भूमि को नगर निगम, जोधपुर को भी हस्तान्तरण कर दिया गया। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके जरिये राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर की अवाप्तशुदा भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
11. अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि अपीलान्त की यह अपील स्वीकार की जावे तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा अपीलान्त जो कि वादग्रस्त आराजी भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार है, को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 में उल्लेखित खसरों की भूमि की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोष जो विधि के अनुसार अपीलान्त को देय हो, प्रदान किये जावें। अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियाँ तथा एआईआर 1996 एस.सी. 3377 तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम ए. विश्वम इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।
12. प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के पत्रांक 5955-5988 दिनांक 02.12.2011 एवं उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक 6208-6240 दिनांक 4.01.2012 की पालना में जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा नगर निगम, जोधपुर को अपील में उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि के अलावा अन्य कई खसरा नम्बरों की भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किया गया है। रेस्पो0 संख्या 3 नगर निगम जोधपुर को भूमि आवंटन/हस्तान्तरण किये जाने



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

से पूर्व भूमि का सर्वे कराया गया था तथा तहसीलदार, जोधपुर से ऐसी सिवायचक भूमियों की सूचना चाही गई थी तत्पश्चात तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा सिवाय चक भूमियों की सूची बनाई गई एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा ऐसी सिवाय चक भूमियों की मांग करने के पश्चात भूमि के कुल रकबों की कीमत आंकी गई जिस पर नगर निगम जोधपुर द्वारा राशि करवाने के पश्चात ही आवंटन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है।

13. जहाँ तक अपीलार्थी को सुनने का प्रश्न है तो जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा नगर निगम को जिन खसरा नम्बरों की भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किया गया है वह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज सिवायचक भूमि का किया गया है और वो सरकारी खाते में दर्ज राजकीय भूमि है। अपीलान्त की ओर से वर्ष 1983 से ही उक्त भूमि राज0 आवासन मण्डल के द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही कर लिये के पश्चात से तहसीलदार जोधपुर कार्यालय को पत्राचार करते हुए राजस्व रेकॉर्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रयास करना बताया है परन्तु नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के कारण उक्त भूमि सिवायचक बनी रही और राजस्व रेकॉर्ड में भूमि सिवायचक/राजकीय होने के आधार पर रेस्पो0 संख्या 3 को हस्तान्तरित कर दी गई है। अपीलान्त अपील में उल्लेखित उक्त खसरा नम्बरों की प्रश्नगत भूमि का किसी भी प्रकार से राजस्व रेकॉर्ड में रेकॉर्डेड खातेदार दर्ज नहीं है। अपीलान्त के द्वारा अपने पक्ष में उल्लेखित भूमि पर मकान निर्मित कर लिया जाना एवं उनका अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर दिया जाना के तथ्य अंकित किये गये हैं लेकिन इन के कथनों के आधार पर वह अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिये जाने की अधिकारिता नहीं रखता है।

14. रेस्पो0 संख्या एक व दो के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 के प्रथम पैरा में राज्य सरकार की ओर से दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला कलेक्टर, जोधपुर कार्यालय के द्वारा तहसीलदार जोधपुर से नगर निगम क्षेत्र की तहसील जोधपुर में स्थित सिवायचक भूमियों का हस्तान्तरण नगर निगम जोधपुर को करने हेतु हस्तान्तरण योग्य राजकीय भूमि की सूचना चाही गई थी जिस पर तहसीलदार जोधपुर के द्वारा उक्त प्रकार की राजकीय भूमियों की सूची बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की गई थी। तत्पश्चात जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर से प्राप्त सूचियों की भूमि को नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित

राजस्व अपील संख्या 06 / 2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 01 में यह भी निर्देश प्रसारित किये गये थे कि उक्त वर्णित भूमियों में, जो भूमि पूर्व में ही जोधपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य विभाग, संस्था उपक्रम के नाम दर्ज हो चुकी हो तो उसका नामान्तरण नहीं किया जाये। साथ ही उक्त वर्णित भूमियों में किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी माननीय न्यायालय का स्थगन अथवा अन्यथा आदेश हो तो माननीय न्यायालय के आदेश की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

15. प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी की अपील इनफेक्चयुअस हो चुकी है क्योंकि अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में जो अनुतोष चाहा है, वो इस अपील के जरिये प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अनुसार उल्लेखित वर्णित भूमि का राजस्थान सरकार के राजपत्र में दिनांक 27.10.2015 को नोटिफिकेशन हो चुका है तथा रेस्पो0 संख्या 3 के नाम उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि का नामान्तरण भी स्वीकृत हो चुका है एवं भूमि नगर निगम, जोधपुर में समाहित हो चुकी है। उक्त भूमि पर नगर निगम जोधपुर द्वारा मौके पर अपना कब्जा लिया जा चुका है। इस आधार पर भी अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

16. रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान समय में उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 3 नगर निगम, जोधपुर के नाम दर्ज है तथा रेस्पो0 संख्या 3 अपने विभाग की ओर से उक्त भूमि पर मालिकाना हक रखते हुए उसे हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग में लेने का अधिकार रखता है। मात्र कथनीय आधारों पर अपीलान्त उक्त भूमि का न तो खातेदार बन सकता है और न ही वह इसे उपयोग में ले सकता है। अपीलान्त राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज नहीं होने के कारण कब्जा प्राप्त करने एवं तरमीम की कार्यवाही कैसे करवा सकता है। इस आधार पर भी अपील खारिज योग्य है।

17. रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से इसी न्यायालय के समक्ष पूर्व में खसरा संख्या 751/23 हाल ख0सं0 860/751 की भूमि बाबत एक अपील संख्या 13/2020 अनवान नरेन्द्र पारख वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह पेश की गई थी, जो न्यायालय हाजा के द्वारा जारी निर्णय दिनांक 05.06.2024 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसे में रेस्पो0 संख्या 4 व



7
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

5 का भी इस भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान समय में भी कब्जा नगर निगम का है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 324 की फोटो प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है, जिसके अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि "किसी नगरपालिका और किसी भी नगर विकास न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय और कृत्यकरण सम्बन्धी अधिकारिता से सम्बन्धित समस्त विवाद, यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से निर्णित नहीं होते हैं तो उन्हें राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।" इस प्रकार उक्त धारा के अनुसार जब सरकार के दो विभागों के बीच किसी बिन्दु को लेकर विवाद पैदा होता है तो उसका निस्तारण केवल राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जा सकता है, न कि इस अपील न्यायालय के द्वारा। अपील में भी विवाद दो विभागों के बीच का प्रश्नगत हो रखा है तो उसे इस आधार पर राज्य सरकार को निस्तारण करने हेतु भिजवा दिया जाना न्यायसंगत रहेगा ताकि विवाद का निस्तारण अन्तिम रूप से हो सके। अतः अपीलान्त की अपील अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार की जायें तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2015 को यथावत रखा जायें।

18. प्रत्युत्तर में रेस्पोंड संख्या 4 व 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ख0स0 860/751 की भूमि के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है क्योंकि जिला कलेक्टर का अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। किसी व्यक्ति की निजी खातेदारी की भूमि को बिना अवाप्ति के नगर निगम को हस्तान्तरित करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त खसरा संख्या की भूमि का धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 28.11.1956 को शिवजी व हरजी को खातेदार घोषित किया गया था उक्त आदेश आज दिन भी प्रभावी है एवं उक्त शिवजी व हरजी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के स्व. सोमचन्द के पक्ष में कर दिया गया। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि न होकर खातेदारी की भूमि है। इस कारण किसी भी सूरत में इसका हस्तान्तरण करने के जिला कलेक्टर को अधिकार नहीं थे। विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिकृत तरीके के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजकीय खाते में दर्ज



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

कर दिया गया। इस कारण क्रेता सोमचन्द द्वारा सहायक कलेक्टर, जोधपुर में घोषणा खातेदारी हेतु वाद पेश किया गया जिसमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार है। वाद के विचाराधीन रहते जानबूझकर उक्त भूमि का आवंटन नगर निगम, जोधपुर को किया जाना सरासर गलत है।

19. रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खसरा न. 751 मूल रूप से बहुत बड़ा खसरा था एवं इसी खसरे के एक भाग का खातेदार पोकरराम को सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किया गया एवं पोकरराम की उक्त भूमि बाद में अवाप्त की जाकर बतौर खातेदार उसे मुआवजा दिया गया। अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गई एवं बिना अवाप्ति के हाई हेण्डेड एक्शन के तहत उक्त भूमि जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा निगर निगम को आवंटन की गई। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का ही कब्जा है। इस वर्ष भी अपीलार्थी द्वारा काश्त की गई हैं। इस प्रकार उक्त भूमि न तो राजकीय भूमि है एवं न ही राज्य सरकार का इस पर कोई कब्जा है। इस बारे में बिना कोई जांच किये जल्दबाजी में विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमि के साथ-साथ विवादग्रस्त भूमि का खसरा भी आदेश में दर्ज कर दिया गया तथा रेकॉर्ड एवं मौके की कोई रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई और जिला कलेक्टर द्वारा की गई तमाम कार्यवाही बहुत जल्दबाजी का नतीजा है तथा बहुत हाई हेण्डेड की एक्शन की तारीफ में आता है। इस तरह की कार्यवाही के जरिये जिला कलेक्टर के द्वारा भूमि को नगर निगम को बिना मौका जाँच करवाये व बिना राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किये ही भूमि आवंटित कर दी जाने से अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अनावश्यक मुकदमे बाजी करने का न्यौता दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के ख0सं0 860/751 की भूमि को नगर निगम जोधपुर को किया गया हस्तान्तरण/ आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे।

20. रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्री शिवजी व हरजी ने उक्त खसरा संख्या 751/23 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि का हस्तान्तरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 10.03.1969 को श्री सोमचन्द पारख के पक्ष में कर दिया तभी से क्रेता इस भूमि पर काबिज हो गये। राज्य सरकार द्वारा सम्वत: 2029 तक इस भूमि का लगान जरिये डिमाण्ड वसूल किया जाता रहा। उक्त खसरा नम्बर 751 मूल रूप से बहुत बड़ा खसरा था एवं इसी खसरे में से एक अन्य व्यक्ति पोकरराम



को भी खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। तत्समय में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि के पास की भूमियों का राजस्थान आवासन मंडल को आवंटन करने की योजना बनाई गई तो क्रेता श्री सोमचन्द को इसकी जानकारी हुई कि उक्त भूमि बिना किसी आदेश के वर्ष 1971 में खालसा दर्ज कर दी गई तब क्रेता सोमचन्द ने उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक दावा सहायक कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय में पेश किया जो वाद वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद में वादी द्वारा सम्बत: 2000 से लगाकर तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी हिस्सा ए-2, गिरदावरी, पर्चा लगान, लगान रसीदें एवं बेचाननामा इत्यादी पेश कर साबित करवाया। उक्त प्रकरण विचाराधीन है। वर्तमान रेस्पो0 संख्या 4 व 5 स्व. सोमचन्द के पुत्र एवं विधिक प्रतिनिधि है।

21. रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि न्यायालय हाजा के द्वारा रेस्पोडेन्ट की ओर से पूर्व में पेश राजस्व अपील संख्या 13/2020 अनवान नरेन्द्र पारख वगैराह बनाम राज0 सरकार में न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.6.2024 के द्वारा उक्त अपील खारिज कर दिये जाने के आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में राजस्व निगरानी पेश की जा चुकी है जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 8.8.2024 को उक्त आराजी ख0सं0 860/751 में रकबा 15.03 बीघा भूमि बाबत राजस्व एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसके अलावा वादग्रस्त खसरा नम्बरों की भूमि में एक खसरे के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में एक अन्य व्यक्ति श्री अजय टाक के द्वारा भूमि की खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु राजस्व मंत्री महोदय राज0 सरकार के समक्ष एक अपील पेश की थी, जो माननीय राजस्व मंत्री के द्वारा स्वीकार की गई तथा अजय सिंह को खातेदार बताते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त प्रकरण में नगर निगम जोधपुर भी पक्षकार थे। राजस्व मंत्री के उक्त आदेश के विरुद्ध नगर निगम, जोधपुर ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पेश की गई थी जिसमें राज0 आवासन मण्डल ने पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जो माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय की डी0बी0 के समक्ष रिट पेश किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राजस्व मंत्री महोदय के आदेश को कन्फर्म कर दिया गया है। इन आधारों पर भी



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

अपीलान्त राज0 आवासन मण्डल को उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा के स्तर से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। रेस्प0 संख्या 4 व 5 उक्त ख0सं0 860/751 की भूमि के खरीददार है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि के न तो अपीलान्त राजस्थान आवासन मण्डल और न ही रेस्प0 संख्या 3 नगर निगम जोधपुर ही इस भूमि का मालिकाना हक अधिकार रखते हैं। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन व आधारहीन होने के आधार पर खारिज की जावे। साथ ही पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 को संशोधित अथवा रेस्प0 संख्या 4 व 5 के उल्लेखित खसरा संख्या 860/751 भूमि को नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित किये जाने तक की सीमा तक के पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

22. हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर चिंतन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश, न्यायिक दृष्टान्त इत्यादि का बगौर अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर, जोधपुर ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के पत्रांक 5955-5988 दिनांक 02.12.2011 एवं उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक 6208-6240 दिनांक 4.01.2012 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर के पत्रांक 1586 दिनांक 6.5.2012 के क्रम में नगर निगम क्षेत्र की तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में स्थित सिवायचक भूमियों का हस्तान्तरण नगर निगम, जोधपुर को किये जाने हेतु तहसीलदार, जोधपुर से हस्तान्तरण योग्य राजकीय भूमियों की सूची भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में तहसीलदार, जोधपुर ने हस्तान्तरित की जाने वाली खसरा नम्बरों की भूमियों की राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का प्रकार राजकीय सिवायचक दर्ज होने की जाँच करने के उपरान्त सूची तैयार की जाकर उनके पत्रांक 743 दिनांक 29.3.2012 के द्वारा राजकीय/सिवायचक भूमियों की सूची जिला कलेक्टर, जोधपुर को प्रेषित की गई।

23. उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर ने उनके पत्रांक 1780 दिनांक 21.6.2012 के संलग्न दिनांक 5.6.2012 को प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर ली गई बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार जोधपुर नगर निगम की सीमा में स्थित सम्पूर्ण सिवायचक भूमियाँ चाहे वह रिक्त हो या अतिक्रमित, सम्पूर्ण भूमियाँ जोधपुर नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिये जाने का निर्णय लिये जाने बाबत तथा उप शासन सचिव, तृतीय,



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

नगरीय विकास विभाग, जयपुर के पत्रांक 2012 दिनांक 17.12.2012 ने भी नगर निगम जोधपुर के कार्यक्षेत्रों में आने वाली सिवायचक भूमि का हस्तान्तरण नगर निगम, जोधपुर को किये जा सकने का अवगत कराया गया। तत्पश्चात नगर निगम, जोधपुर के द्वारा हस्तारित आदेश में वर्णित खसरा नम्बरों की भूमियों का भूमि की कीमत के रूप में देय राशि रूपये 23,45,255/-को दिनांक 17.12.2012 को राजकोष में जमा करवा दिये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जोधपुर ने दिनांक 10.07.2015 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमियों की उपरोक्त हस्तान्तरित सूची के अनुसार भूमि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में ही नगर निगम, जोधपुर के द्वारा राशि राजकोष में जमा करवाते हुए उक्त क्लेम के अनुसार भूमि का विधिक रूप से मालिकाना हक-अधिकार प्राप्त किया गया है और इस आधार पर ही उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि नगर निगम जोधपुर के नाम हस्तान्तरित होकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई है। साथ ही उक्त अपीलाधीन आदेश में यह भी अंकित किया गया है तहसीलदार, जोधपुर हस्तान्तरित भूमि का कब्जा नगर निगम जोधपुर के विधिक प्रतिनिधी को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने से पूर्व उक्त वर्णित भूमि में जो भूमि पूर्व से ही जोधपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य विभाग, संस्था, उपक्रम के नाम दर्ज हो चुकी हो तो उसका नामान्तरकरण नहीं किया जावे एवं किसी न्यायालय से स्थगन हो तो उसकी पालना सुनिश्चित की जाये।

24. इस प्रकार जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 के अनुसार तहसीलदार जोधपुर की ओर से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज राजकीय सिवायचक भूमियों की प्राप्त सूचना/सूची के अनुसार ही भूमियों को नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरण किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई हैं।

25. अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत अपील में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त 09 खसरा नम्बरों की रकबा 51.10 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में भूमि, जरिये भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अवाप्ति की गई थी तथा भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6(4)(1) व धारा 17(4) को गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.04.1986 में प्रकाशन हो चुका है। साथ ही उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 11.11.1986 को अन्य खसरा नम्बरों की भूमि के साथ भूमि अवाप्ति

अधिकारी के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को सौंप दिया गया था, परन्तु अपीलान्त विभाग के द्वारा अपील में यह कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दिनांक 11.11.1986 को कब्जा लिये जाने के उपरान्त उनकी ओर से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तरकरण अथवा अन्य विधि के अनुसार अपना नाम दर्ज करवा लिया गया था, न ही ऐसा कोई प्रमाण न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर पाये है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा प्रेषित उपरोक्त खसरा नम्बरों की सूची में उनके उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि का राजस्थान आवासन मण्डल का नाम नहीं दर्शा कर राजकीय सिवायचक भूमि दर्शा दी गई हो।

26. अपीलान्त के द्वारा यह भी अंकन किया गया है कि उनको उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण नगर निगम जोधपुर को कर दिये जाने के पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 4.5.2019 को हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक के रूप में ही दर्ज रही है न कि राजस्थान आवासन मण्डल के नाम दर्ज रही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्त ने अपील के समर्थन में जो-जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है, वह सभी अप्रमाणित फोटो प्रतियों के रूप में पेश किये गये है जो कि विधि के अनुसार प्रमाणित करवाकर पेश नहीं किये गये है, ऐसे में उनको साक्ष्य के रूप में तथा उनकी सत्यता पर विश्वास किया जाना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। अपीलान्त का सम्पूर्ण दारोमदार ही इन्हीं दस्तावेजों पर निर्भर था जिनके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि अधिसूचना दिनांक 21.04.1986 से भूमि आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गई तथा कब्जा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही की गई।

27. जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12 (3-)/राज./आवं./नगर निगम/ 2015/3226-33 दिनांक 10.07.2015 की पालना में तत्समय ही नगर निगम के नाम से नामा0 संख्या 1773 दिनांक 2.7.2016 तस्दीक हो गया था। यदि अपीलान्त आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 11.11.1986 में ही विवादित भूमि का कब्जा ले लिया गया था तो आवासन मण्डल के नाम नामान्तरकरण दर्ज क्यों नहीं कराया, यह विचारणीय प्रश्न है। यदि आवासन मंडल द्वारा तत्समय ही वर्ष 1986 में नामान्तरकरण दर्ज करा लिया जाता तो जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.7.15 को भूमि नगर निगम के नाम दर्ज करने आदेश पारित करते समय यह भूमि आवासन मण्डल के नाम दर्ज होने के कारण, नगर निगम को हस्तान्तरित करने का आदेश जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा



स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 पारित किया गया है, उसके बिन्दू संख्या 01 में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि जो भूमि पूर्व से ही जोधपुर विकास प्राधिकरण या अन्य विभाग, संस्था के नाम दर्ज हो चुकी हो तो उसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं करें। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है, वह तहसीलदार से सिवायचक भूमियों के विषय में पूर्ण जानकारी ले कर जारी किया गया है। तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 2.7.2013 को जिला कलेक्टर, जोधपुर को लिखा है कि सूची की भूमियों का परीक्षण कर लिया गया है, किसी के द्वारा स्वामित्व की मांग नहीं की जा रही है।

28. इसके अतिरिक्त अपीलान्त विभाग के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा तथाकथित रूप से दिनांक 11.11.1986 को ही ले लिये जाने का उल्लेख किया है तो अपीलान्त विभाग के द्वारा लगभग 40 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण के अब तक दर्ज क्यों नहीं करवाया गया, इसका भी कोई ठोस प्रमाण अपीलान्त पेश नहीं कर पाये है। अपील में उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित कर दिये जाने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 6.5.2019 को नगर निगम जोधपुर से होने का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्त विभाग के पक्ष में उक्त खसरा नम्बरों की भूमि के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं रहा है। अपीलान्त विभाग के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 की जानकारी दिनांक 6.5.2019 को हो जाने के बावजूद भी अपीलान्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह अपील दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत की गई है यानि लगभग 02 वर्ष 07 माह पश्चात के विलम्ब से पेश की गई है। इस आधार पर भी अपीलान्त इस अपील कार्यवाही के जरिये उक्त भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है।

29. जहाँ तक रेस्प0 संख्या 04 एवं 05 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 में अंकित ख0सं0 860/751 में उनकी खरीदशुदा भूमि बाबत पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में दौराने सुनवाई जो कथन उल्लेखित किये गये है, उन पर न्यायालय द्वारा इस अपील में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष/निर्णय नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा जो अनुतोष चाहा जा रहा है, उसके सम्बन्ध में उनकी



राजस्व अपील संख्या 06/2022 आवासीय अभियन्ता राज0 आवासन मण्डल बनाम राज0
राज्य वगैराह

ओर से पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 5.6.2024 (अपील को खारिज कर दिये जाने को) को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी पेश करते हुए चुनौती प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वर्तमान में विचाराधीन होना बताया गया है और वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थगन जारी होना दर्शित किया गया है।

30. हम रेस्पोंड संख्या 03 नगर निगम जोधपुर की ओर से उल्लेखित किये गये कथनों से पूर्णतया सहमत है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि नगर निगम जोधपुर के द्वारा राजकोष में राशि जमा कराये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित की गई है तथा उक्त भूमि वर्तमान में उनके नाम (नगर निगम, जोधपुर के नाम) राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जिसके आधार पर वह उक्त भूमि का विधिक रूप से मालिक होने से किसी भी रूप में उपयोग/ उपभोग अथवा अन्यत्र प्रयोजनार्थ निष्पादन/राजस्व प्राप्ति हेतु उसका निस्तारण कर सकते हैं।
31. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन करने एवं दौराने सुनवाई प्रकट किये गये कथनों पर चिन्तन एवं मनन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश राजस्व रेकॉर्ड के अनुरूप पारित किया हुआ होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
32. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
संभागीय जोधपुर आयुक्त
जोधपुर